

2021/49

Form No. III

फर्द अहकाम

अज अदालत <sup>सहायक कलेक्टर</sup> उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा, जिला कोटा

उनवान नाथूलाल वगैरे बनाम चण्डिका देवी

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 188 Cr.P.C. मि.न. 54 सन् 2021

तारीख हुक्स	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6/14/21	<p>वाह पत्र वादी नाथूलाल वगैरे की डायरी में श्री श्याम देवी का एक हारा जफ्त किया गया / रिपोर्ट सारितल का उपलब्ध किया गया / वाह पत्र दर्ज मजिस्ट्रेट किया जाकर प्रति वादीगण को तलबी की जाये किमल वाले तलबी में दिनांक 15-7-21 के पत्र है।</p>	
15/7/21.	<p>पत्रवाही अज पेश हुये पत्रिका <del>वादी</del> वादी द्वारा जफ्त पत्र <del>उत्पुल</del> पर वाद खिड़ी कर वाद छोड़े नहीं चाहते हैं। अतः वादी के प्रार्थना पर <del>वे</del> आधार पर वाद इसी स्तर पर स्परिज किया जाता है। पत्रवाही बाद तामिल तमसिग मबर के जम की जाकर दालिम वफ्तार है।</p>	<p>वा. प्र. पत्रवाही नहीं चाहते हैं। नाथूलाल पहचानकर्ता S. Kumar श्याम देवी (नाथूलाल)</p>

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
इटावा जिला कोटा